

**राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक : प.11(7)नविवि/आबू/2024-08218

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

**अधिसूचना**

विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10(57)नविवि/3/95 दिनांक 01.06.2012 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित आबूरोड शहर के मास्टर प्लान-2025 की समयावधि दिनांक 31.12.2025 को समाप्त हो चुकी है, को एतद् द्वारा 01 वर्ष/दिनांक 31.12.2026 के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10(57)नविवि/3/95 दिनांक 24.01.2003 एवं 17.08.2009 के द्वारा अधिसूचित "आबूरोड नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, सिरोही।
6. अति. मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका आबूरोड।
9. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम